

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 4 (ई) सेवा नि / अलेसे-III

दिनांक - 11-6-2012

कार्यालय आदेश संख्या 95/2012-13

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(0) एफडी/रुत्स/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से अपराहन पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार	मेरिट संख्या	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय / विभाग	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री भगवानल सोनी	619/86	उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग बीकानेर	09.05.1953	31.05.2013
2	श्री राकेश कुमार शौक	746/88	रजिस्ट्रार राजस्व कर बोर्ड अजमेर	25.05.1953	31.05.2013
3	श्री कैलाशचन्द्र नाटाणी	499/88	राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम जयपुर	26.06.1953	30.06.2013
4	श्री सत्यनारायण तम्बोली	973/86	कम्पाइन्डिंग ऑफिसर 11वीं बटालियन, एनसीसी, अजमेर	01.07.1953	30.06.2013
5	श्री विश्वेश्वर प्रसाद शर्मा	626/86	अधिकांशी अभियन्ता, बीसलपुर परियोजना खण्ड तृतीय, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जयपुर	05.07.1953	31.07.2013
6	श्री मदनगोपाल व्यास	627/86	सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर	07.07.1953	31.07.2013
7	श्री विनोद कुमार पालीवाल	982/86	अधिकांशी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, बीकानेर	17.07.1953	31.07.2013
8	श्री सुरेन्द्र रावत	603/88	उपकोष राजाखेड़ा (धौलपुर)	20.07.1953	31.07.2013
9	श्री बृजगोपाल चूरा	535/88	वरिष्ठ भू वैज्ञानिक, भू जल विभाग, बीकानेर	27.07.1953	31.07.2013
10	श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता (वि.)	303/90	तहसील (राजस्व) कोलायत (बीकानेर)	12.07.1953	31.07.2013
11	श्री छगनलाल सैनी	516/88	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बानसुर (अलवर)	01.08.1953	31.07.2013
12	श्री चन्दमान लाम्बा	530/86	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, चिन्नाया (सुन्धर)	20.08.1953	31.08.2013
13	श्री चमन कुमार जैन	914/86	कम्पाउण्डेड ग्रुप हैड क्वार्टर नेशनल कैंडेट कोर, जयपुर	09.09.1953	30.09.2013
14	श्री महेशचन्द्र शर्मा	245/83	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), कोटा	20.09.1953	30.09.2013

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या 14 पर अंकित श्री महेशचन्द्र शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध विभागीय पत्रांक एफ 1(सी)(1125) जांच/06/5623 दिनांक 12.02.2007 द्वारा 16 सीसीए में विभागीय जांच लम्बित है। शेष अन्य कनिष्ठ लेखाकारों के विरुद्ध वर्तमान में इस निदेशालय में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

निदेशक

क्रमांक एफ 4 (ई) सेवा नि./अलेसे-III/ 2483 - 2520 दिनांक- 11-6-20/2

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
- 2 संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर/ जोधपुर/ बीकानेर/ कोटा/ उदयपुर
- 3 विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर निवेदन है कि इन आदेशों के जारी होने के पश्चात यदि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रस्तावित हो तथा ऐसी कोई शिकायत हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो तो अविलम्ब इसकी सूचना पेंशन कार्यालय व इस विभाग को भिजवावे ताकि यथा समय उचित कार्यवाही की जा सके।
- 4 श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
- 5 संयुक्त निदेशक विधि/जांच
- 6 निजी सहायक निदेशक महोदय।
- 7 गोपनीय शाखा/ डीपीशाखा/कम्प्यूटर (वेबसाईट हेतु) अनुभाग
- 8 निजी/गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक- II)